




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादीगण विनोद कुमार पुत्र शिवभगवान ब्राह्मण, ज्ञानाराम पुत्र रूपाराम जाट, मेवाराम पुत्र रूघाराम जाट वगैरह	ब ना म	प्रतिवादीगण मोहनी पत्नी स्व. भंवरलाल कुमावत श्रवणपुरा वगैरह
राजस्व वाद पत्र = वास्ते बंटवारा होल्डिंग, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 R.T.Act 1955		
राजस्व वाद-पत्र नम्बर 351 / 2021		GCMS No. 2021/1171
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए	24.12.2021 वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद वास्ते बंटवारा होल्डिंग, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 24.01.2022 को पेश हो। <div style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </div> <div style="margin-top: 20px;"> <u>24/01/2022</u> पत्रावली पेश हुई/अप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधार है। अतः पत्रावली दिनांक <u>14/03/2022</u> को पेश हो। </div> <div style="margin-top: 20px;"> <u>14/03/2022</u> वकील वादी 344 प्रतिवादीगण की तलबी हुई वकील वादी द्वारा उक्त को सम्मन दिनांक 24/01/2022 को पेश हो। </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </div> <div style="margin-top: 20px;"> <u>20/01/2022</u> वकील वादी एवं वकील को आदेश लगाया कि उक्त वाद को जल्द से जल्द अन्त में लाने के लिए पत्रावली पेश कर लेना और तलब के लिए तैयार रहना। </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) </div>	